JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण और पंचायतीराज व्यवस्था: चुनौतियां और संभावनाएं

1. निशा नारायणी देवी, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
2. डॉ पूजा तिवारी, प्राध्यापक,समाजशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

शोध पत्र का सार

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। 73व संविधान संसोधन इस सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा प्रयास था । 75 वर्ष के भारतीय लोकतंत्र में महिलाओ से सम्बंधित मुद्दे आज़ादी के बाद से ही मुख्य पटल पर रहे है जिसको पंचायतीराज व्यवस्था ने नई ऊंचाई प्रदान की । महिला सशक्तिकरण के अपने महत्व, चुनौतियां और मुद्दे है । सरकार का प्रयास महिलाओ की भागीदारी बढ़ने का तथा इनमे नई संभावनाएं खोजने का रहा है । निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है की महिलाओ में राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता पंचायतीराज व्यवस्था की देन है।

कुंजी शब्द- सशक्तिकरण, लोकतंत्र, अधिकार, प्रतिनिधित्व, अवधारणा, जागरूकता

परिचय

सशक्तिकरण जिसमें मूल भावना ही योग्यता है एक ऐसी समावेशी परिकल्पना है जिसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का मापदंड छुपा है। भारत में महिला सशक्तिकरण सदियों से चले आ रहे महिलाओं के मुद्दों से संबंधित प्रयास की एक रूपरेखा है जिसमें उन्हें अपने बंधनों से मुक्त होकर निर्णय लेने और युग निर्माता बनने की संकल्पना का परिपादन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। उनका यह कथन इस संकल्पना पर कि समाज, गांव और राष्ट्र विकास में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है जबकि समाज के प्रमुख बिंदु और मानव जाति की आधी हिस्सेदारी उनके ऊपर टिकी है। आज महिलाओं के अधिकारों में असमानता ने समाज के सम्मुख असमानता, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा और अशिक्षा जैसे तमाम मुद्दों की को जन्म दे दिया है। भारत में इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने और महिला भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायतीराज व्यवस्था ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पंचायती राज व्यवस्था ने न सिर्फ महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि इसके माध्यम से समाज में सशक्तिकरण का भी प्रयास किया है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और उनकी संस्थाओं का निचले स्तर पर प्रसार लोकतंत्र की सच्ची स्थापना का द्योतक है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूर्व नियोजित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसके माध्यम से

आर्थिक प्रगति, न्याय, जन समस्याओं का निस्तारण, मानवीय संसाधनों का विकास और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना शामिल है।

इसके साथ ही अगर हम यह कहें कि लोकतंत्र की इस आधारशिला में महिला सशक्तिकरण का विषय तमाम चुनौतियों का सामना भी करता है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही उदारवादी लक्ष अपनाएं जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सी संभावनाएं भी इसमें मूर्त रूप लेती प्रतीत होती हैं। इन्हीं सब चुनौतियां और संभावनाओं के बीच रस्साकशी जैसी स्थिति में नारी अपनी आधी आबादी की सशक्तिकरण के मूल को लक्षित करने का प्रयास कर रही है।

पंचायतीराज व्यवस्था और महिलाएं

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं से संबंधित सामाजिक आर्थिक मुद्दे आंदोलन के रूप में आजादी से पहले ही परिलक्षित होते रहे हैं। इसलिए आजादी के साथ ही नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी इन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही कानूनी गारंटी के रूप में मिले। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्व-शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचन जिनमे पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा सभी स्तर की आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं को भी आरक्षण उनकी राजनीतिक आर्थिक कद को बढ़ाने का ही प्रयास है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं का अधिकार एक मील का पत्थर है जिसके माध्यम से राजनीति की सबसे छोटी इकाई में महिलाओं को सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

बात अगर पंचवर्षीय योजनाओं की की जाए तो 1974 तक इन योजनाओं में महिला मुद्दों पर कल्याणकारी पहलुओ पर विशेष बल दिया गया जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में महिला कल्याण की जगह महिला विकास की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में एक पृथक अध्याय ही महिला विकास के बारे में जोड़ा गया जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जैसी उपाय किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक और आर्थिक बिंदु को ऊंचा उठाने और राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय में ऐसे कार्यक्रम की जरूरत महसूस हुई जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महिला महिलाएं विकास कि इन सभी लाभों से वंचित न रहे और इसी प्रकार 'विकास' की बजाय 'अधिकार' प्रदान करने पर बल दिया गया। महिला नीतियों को लेकर जहां प्रथम पंचवर्षीय में 4 करोड़ रुपए का प्रावधान था तो वहीं आठवीं पंचवर्षीय में यह बढ़कर 20 अरब ₹ के करीब पहुंच गया।

महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं लेकिन वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य अवसरों का एक जरिया हैं। महिलाये कई सामाजिक नियमों और विनियमों के कारण कभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती हैं। हालांकि वर्तमान में महिलाओं को संविधान और कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अभी भी उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है। महिला सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समाज के दमन, शोषण, अन्याय और अन्य रोगो का सशक्तिकरण ही एक मात्र प्रभावी उत्तर है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनकी रचनात्मक क्षमताओं और इच्छाओं को पूरा करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर देना है। इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम हैं। सशक्तिकरण की अवधारणा 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के साथ शुरू हुई। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD) काहिरा में 1994 में और आगे 1995 में 'महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन (FWCW)' आयोजित किया गया था। दोनों सम्मेलनों ने महिला सशक्तिकरण के महत्व को पहचाना और पुष्टि की कि प्रजनन स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत सरकार ने भी इस एजेंडे को लागू किया। नतीजतन, महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडब्ल्यू) ने महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के बारे में मजबूत, जागरूक और जागरूक बनाने के प्रयास किए।

भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का संघर्ष लंबा और कठिन रहा है। भारतीय लोकतंत्र अब 75 साल का हो चुका है। लोकतंत्र की सफलता पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी पर निर्भर करती है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक समानता की चिंता पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरी जिसमें महिलाएं सक्रिय भागीदार थीं। 1932 के बाद भारतीय महिलाओं ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया। महिलाओं ने भारत में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पद संभाला है। वर्ष 1993 में भारत

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान का अंग बनाकर क्रांतिकारी कदम उठाया। इस संबंध में, विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के साथ-साथ महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली पंचायत राज संस्थाओं के मिश्रित प्रभाव पड़े हैं।

महिला सशक्तिकरण का महत्व

हाल के दिनों में हर कोई महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा कर रहा है। यह कहना सही है कि महिला सशक्तिकरण समय की आवश्यकता बन गई है। महिलाओं के पास अपनी जरूरतों और मांगों को चुनने के लिए स्वतंत्रता, विश्वास और आत्म-मूल्य होना चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव बेकार है और पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की वृद्धि को देखते हुए इसका कोई मूल्य नहीं है। महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और परिवारों में उन्हें रसोइया और दासी के रूप में माना जाता है, जो की उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में विफल रहती है। महिलाओं को सशक्त बनाना महिलाओं का एक आवश्यक अधिकार है। उन्हें समाज, अर्थशास्त्र, शिक्षा और राजनीति में योगदान करने का समानुपातिक अधिकार होना चाहिए। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और पुरुषों के समान उपचार प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किया जाता है।

महिलाओं के सामने चुनौतियां

राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के बावजूद, महिलाओं को अभी भी वह सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वे जाति और लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण हकदार हैं। हालाँकि महिलाओं को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उनके पतियों ने वह वास्तविक अधिकार "सरपंच पति" के रूप में रखा, जिससे उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण लाभ से रोका जा सके। महिलाओं को ग्राम सभाओं में खुलकर बात करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे अव्यवस्थित हैं। प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता व्यापक अज्ञानता और निरक्षरता से और सीमित है। जब उनके कृत्यों को पारंपरिक सामाजिक ताने-बाने में खिंचाव के रूप में देखा जाता है, तो पंचायतों में कई महिला नेताओं पर हमले हुए हैं, और कुछ के हताहत होने की भी सूचना मिली है।

संरचनात्मक मुद्दे

देश भर में पंचायत की बैठकें सड़कों और सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसे भौतिक सरोकारों के लिए कार्य प्राथमिकता का एक पैटर्न दिखाती हैं, सरपंचों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृद्धावस्था पेंशन और कल्याण जैसी सामाजिक विकास गतिविधियों पर जोर दिया है। सामाजिक क्षेत्र के विकास से संबंधित स्वास्थ्य और शैक्षिक मुद्दों पर कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा लगता है कि बुनियादी ढांचे की समस्या के बारे में बातचीत भी नए विकास तक ही सीमित है। मौजूदा भवन के रखरखाव और मरम्मत की अक्सर उपेक्षा की जाती है। उनकी शिक्षा की कमी के कारण, सरपंचों के प्रमुख के रूप में चुनी गई अधिकांश महिलाएं अभी भी अन्य बातों के अलावा अपने सचिवों, पतियों और बच्चों सहित दूसरों पर निर्भर हैं। उन्हें अक्सर बेईमान सरकारी अधिकारियों से उच्च कीमत वाली वित्तीय जबरन वसूली और उच्च जातियों से शारीरिक नुकसान, बलात्कार और दुर्व्यवहार की धमकियों द्वारा अपने कार्यों को करने से रोका जाता है। सतना जिले के इटमा तीर गांव की सरपंच कमला मलाहा ने पंचायत सचिव पर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया था। प्रतिशोध तुरंत आया। सीईओ को पकड़ने के तुरंत बाद, सचिव ने सारा दोष उस पर मढ़ दिया, लेकिन वह उसके निलंबन के लिए लड़ी। अंतत: समस्या अदालत से निपटती है और इस बीच पंचायत के पूरे काम प्रभावित होते हैं।

भ्रष्ट सिस्टम

स्वयं सहायता समूह (SHG) और गैर-सरकारी संगठन (NGO) एक लाभकारी कार्य करते हैं, और कई पंचायत संस्थाएँ उनके साथ एक सहकारी संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं। असावधान और भ्रष्ट राज्य और संघीय सरकारों के कारण स्वदेशी समुदाय

अपने अधिकारों के प्रतिनिधित्व और संरक्षक के रूप में स्थानीय गैर-सरकारी संगठन नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के समूहों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशासित किया जाता है। फिर भी, उन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जो पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग करने और एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करने की प्रणाली बनाने में सक्षम बनाती हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन

महिला उम्मीदवारों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके पुरुष सहयोगियों के विपरीत, कार्यालय चलाने के लिए उनकी प्रेरणा को प्रभावित कर सकती हैं। सेक्स रूढ़िवादिता, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक तैयारियों की कमी, और काम और परिवार की बाजीगरी इनमें से कुछ कठिनाइयाँ हैं।

यौन पूर्वाग्रह

सेक्स रूढ़िवादिता यह मानती है कि नेतृत्व से जुड़े गुण पुल्लिंग और स्त्रैण दोनों हैं। यह विचार कि सार्वजनिक कार्यालय में सफल होने के लिए पुरुषों को अधिक आक्रामक और प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है, राजनीति के आक्रामक और प्रतिस्पर्धी चरित्र से उपजा है। इसलिए, महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह इस झूठी धारणा पर आधारित है कि स्त्रीत्व का परिणाम स्वाभाविक रूप से खराब नेतृत्व होता है। सेक्स रूढ़ियाँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। चुनावी अभियानों में, सामाजिक रूप से परिभाषित लैंगिक रूढ़ियों के साथ तालमेल बिठाने वाले मतदाताओं पर जीत हासिल करने के लिए महिला उम्मीदवारों (पुरुष नहीं) पर अपने पुरुष गुणों पर जोर देने का दबाव होता है।

राजनीतिक समाजीकरण

राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा इस अवधारणा पर आधारित है कि बचपन के दौरान महिलाओं को राजनीति के सामाजिक रूप से निर्मित मानदंडों से परिचित कराया जाता है। दूसरे शब्दों में, कम उम्र में ही सेक्स स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाती है। इसलिए, यह एक बच्चे के राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करता है। आम तौर पर, लड़कियां "राजनीति को एक पुरुष डोमेन" के रूप में देखती हैं। समाजीकरण एजेंटों में परिवार, स्कूल, उच्च शिक्षा, मास मीडिया और धर्म शामिल हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक एजेंट राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा को बढ़ावा देने या ऐसा करने के लिए किसी को मना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूमैन और व्हाइट का सुझाव है कि जो महिलाएं राजनीतिक कार्यालय के लिए दौड़ती हैं, उनका "राजनीति में रुचि और जीवन के प्रति सामाजिककरण" होता है। कई महिला राजनेता कमजोर लिंग-भूमिका मानदंडों वाले राजनीतिक परिवारों में पैदा होने की रिपोर्ट करती हैं।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयास

सरकार के प्रासंगिक प्रयासों में संसद में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना शामिल है जो 30% से 50% तक मतदान कर सकती हैं। भले ही भारत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता वाले कानून को पारित करने में सक्षम था, फिर भी निर्णय लेने की बात आने पर महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी पर लाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता तब तक बाधित होती है जब तक कि यह भागीदारी का रूप न ले ले। सरकार कई कार्यक्रमों पर भी काम कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र भी शामिल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को

सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके और ऐसा माहौल तैयार करके सशक्त बनाना है जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। महिला सशक्तिकरण और पीआरआई के संचालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, स्थानीय शासन में भागीदारी योजना प्रक्रियाओं का वर्णन करें, और परिवर्तन एजेंटों के रूप में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए महिलाओं को अपनी खुद की नेतृत्व क्षमता की पहचान करने में मदद करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रशिक्षण भी आयोजित करता है।

महिला सशक्तिकरण और पंचायतीराज व्यवस्था: संभावनाएं

पंचायती राज में महिलाओं की स्वयं और समाज दोनों की भलाई के लिए उनकी भागीदारी में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें हैं।

क) महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, और शिक्षा उन्हें उनके सामाजिक अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों से अवगत कराएगी।

ख) ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच दृष्टिकोण में बदलाव एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस धारणा को बदलना आवश्यक है कि महिलाएं केवल घरेलू काम और बच्चों के पालन-पोषण के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच समान सहयोग हो।

ग) महिलाओं को स्वतंत्र रूप से राजनीति में शामिल होना चाहिए ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी आवाज उठा सकें और सामान्य रूप से महिलाओं की मदद कर सकें।

घ) सभी स्तरों पर पंचायत की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर और जोर दिया जाना चाहिए। उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को आगे बढ़ाने और सुधारने के लिए यह आवश्यक है। बैठकों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने से उन्हें पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक सभी महिलाओं को उपस्थित होना आवश्यक है।

ङ) सरकार को महिला संगठनों को वित्तीय और बुनियादी ढांचे के साथ समर्थन देना चाहिए ताकि वे महिला निर्वाचित अधिकारियों को प्रेरित करने और राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने का कार्य कर सकें।

च) ग्रामीण समाज को नया रूप देने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह लैंगिक न्याय और समानता के विचारों को स्थापित करने के लिए राजनीतिक समाजीकरण के लिए एक वाहन के रूप में काम कर सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं ने 33% आरक्षण की पेशकश करके महिला नेतृत्व में अपना विश्वास बहाल किया। इसने पितृसत्तात्मक संस्कृति को महिलाओं के बारे में अपनी नकारात्मक पूर्व धारणाओं को खत्म करने की जोरदार सलाह दी। इसके अलावा, इसने पहले वंचित निम्न जाति की महिलाओं को एक अवसर दिया। इस डोमिनोज़ प्रभाव ने महिलाओं को अपने कौशल में अधिक आत्म-आश्वासन दिया और उन्हें करियर को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के प्रयासों से, पीआरआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नौकरी और आजीविका के अवसरों के लिए एमएसएमई, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, विकास और प्रचार किया। स्थानीय स्तर पर, फिर बाद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता मिली है। राजनीतिक सशक्तिकरण धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्तर तक नीचे चला जाता है।

निष्कर्ष

महिलाओं के पास अब एक समूह के रूप में खुद के लिए बोलने का एक मंच है, और पंचायती राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ा दी है। 73वें संशोधन ने ग्रामीण विकास की गतिशीलता को बदल दिया है, महिलाओं को अपने

नेतृत्व कौशल को दिखाने का मौका दिया है, और राजनीतिक जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर भी, वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक वर्जनाओं और हठधर्मिता ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आगे बढ़ना और सशक्तिकरण हासिल करना मुश्किल बना दिया है। पंचायतीराज व्यवस्था राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में पहला कदम हो सकता है क्योंकि उनकी बढ़ी हुई राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास के कारण राज्य विधानसभाओं और ब्रिटिश संसद के चुनावों में मतदान करने की संभावना अधिक होगी। यह सशक्तिकरण के मार्ग पर एकमात्र शुरुआती बिंदु है। नगरपालिका सरकार में महिला नेतृत्व का कोई विशेष लंबा रास्ता नहीं रहा है। महिलाएं अभी भी नई चीजें सीख रही हैं। यह सच है कि केवल महिलाएं ही विकास की प्रक्रिया में दमित भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोणों को प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त कर सकती हैं। समाज के इस वर्ग के लिए, जो अभी भी विकसित हो रहा है, अपनी इच्छाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए महिलाओं की तैयारी महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी में भारत में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, जो अब सर्वोच्च पदों और कार्यालयों पर आसीन हैं। इस लिहाज से कम से कम हम अमेरिका से आगे हैं, जहां अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। बहरहाल, अभी भी कई मुद्दों के प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। केवल स्थानीय आरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण हासिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि हमारे पास अभी भी जाने के लिए एक रास्ता है, हम अंततः पहुंचेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, "वह राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, वह आज या भविष्य में कभी भी महान नहीं बन सकता है।

अंत में पंचायती राज संरचना और अन्य जगहों पर महिलाओं की उपस्थिति उनके सफल राजनीतिक जुड़ाव और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। महिलाओं की राजनीतिक सगाई और सशक्तिकरण कई सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा प्रतिबंधित हैं। विख्यात विद्वान और भारत में महिलाओं की स्थिति पर प्रथम समिति की सचिव वीणा मजूमदार की टिप्पणी इस संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है "मानव संसाधनों के महत्वपूर्ण द्रव्यमान को राज्य द्वारा नोट किया जाना चाहिए, समय आ गया है कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए और उन्हें सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के पीछे की ताकतों के रूप में पहचाना जाए क्योंकि सशक्तीकरण की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।" आइए हम भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को उनकी योग्य स्थिति प्रदान करने की दिशा में काम करें।"

संदर्भ सूची:

1. अंसारी, नियाज, (2002), महिला सशक्तिकरण -वायदे एव क्रियान्वयन।
2. अविनाशीलिंगम, टी. एस. (1964) एजुकेशन अ□फ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मठ पब्लिकेशन डिवीजन, नागपुर।
3. अग्निहोत्री, वंदना (2004), पंचायतीराज एवं महिलाएं अप्रकाशित शोध प्रबंध, शाह जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर।
4. अरविंदो, (1948) ए सिस्टम अ□फ नेशनल एजुकेशन, आर्या पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता।
5. आहूजा, राम, (2005) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. बेदी, किरण, (2008) महिला सशक्तिकरण कुछ विचार, योजना, भवन प्रकाशन, नई दिल्ली, योजना।
7. भटनागर, एस., (1978) रुरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, लाइफ एण्ड लाइट पब्लीशर्स, नई दिल्ली।

* * *